

**प्रारूप-3**

**भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति                                                                                                                                                                                                                                         | सशस्त्र सीमा बल, की सीमा चौकी थपलीयाल खेड़ा की स्थापना के लिए 0.99 है० वन भूमि स्थानान्तरण का प्रस्ताव।                                                                                                                                              |
| (i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र                                                                                                                                                                                                                                                 | उत्तराखण्ड                                                                                                                                                                                                                                           |
| (ii) जिला                                                                                                                                                                                                                                                                 | चम्पावत                                                                                                                                                                                                                                              |
| (iii) जिला वन प्रभाग                                                                                                                                                                                                                                                      | हल्द्वानी                                                                                                                                                                                                                                            |
| (iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र                                                                                                                                                                                                 | 0.99 है०                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति:                                                                                                                                                                                                              | आरक्षित वन                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (i) वन का प्रकार                                                                                                                                                                                                                                                          | आरक्षित                                                                                                                                                                                                                                              |
| (ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व                                                                                                                                                                                                                                           | 0.01 से 0.02                                                                                                                                                                                                                                         |
| (iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना                                                                                                                                                                                | संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                           |
| (iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा                                                                                                                                                                                       | —                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी                                                                                                                                                              | भूवैज्ञानिक की आख्या संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                      |
| 20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :                                                                                                                                                                           | शून्य                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :                                                                                                                                                                              | नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                             |
| (i) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :                                                                                                                                                                        | नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                             |
| (ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अल्पवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) | संख्या- 1777/1 (2) - व० ग्रा० वि०/2002-19 (9)/2002 भारत सरकार एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली की पत्र संख्या-7-2-100 (पी०ई०) दिनांक-14.02.2002 के द्वारा हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी का सम्पूर्ण क्षेत्र "शिवालिक ऐलीफेंट रिजर्व" के अन्तर्गत घोषित है। |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| (iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)                     | नहीं है।               |
| (iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) | नहीं है।               |
| (v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे दे                                                                                                                                                                                             | नहीं।                  |
| 22.. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)                                                                          | प्रमाण पत्र            |
| 23.. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :                                                                                                                                                                                           |                        |
| (i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।                                                                                                                                                                       | प्रमाण पत्र संलग्न है। |
| (ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग किया जा सकता है।                                                                                                                                                                                                                    | -                      |
| 24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| (i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)                                                                                                                                                                                                         | नहीं                   |

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| (ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वर्तित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही | नहीं                               |
| (iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)                                                                                                                                                                                  | नहीं                               |
| 25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :                                                                                                                                                                                                        |                                    |
| (i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।                                                                                                                                                                   | लागू नहीं                          |
| (ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।                                                                                    |                                    |
| (iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं।                                                                 |                                    |
| (iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।                                                                                                  |                                    |
| (v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिब्यय :                                                                                                                                                                                      |                                    |
| (vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)।                                                                    |                                    |
| 26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।                                                                   | हाँ!                               |
| 27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें                                                                                                                                                   | स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है। |

स्थान : हल्द्वारी

तारीख : 27-09-2021

(कनक कुमार)  
वन संरक्षक  
हल्द्वारी वन विभाग, हल्द्वारी.